आवश्यक

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवम् लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक : 126 /23—स्था.नि.लि./2018 दिनाँक : 11 जून, 2018
2617

विषय : <u>जनहित याचिका संख्या 31/2012 प्रो॰ अजय सिंह रावत बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनहित याचिका संख्या 31/2012 प्रो॰ अजय सिंह रावत बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा नैनीताल में पर्यटक सीजन के दौरान पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनाँक 02 अप्रैल, 2018 को निम्न आदेश दिये गये हैं :—

> *"We direct the District Magistrate, Nainital and Senior Superintendent of Police, Nainital to forthwith make publications in this regard in at least four newspapers (which shall include English and Hindi newspapers), which have a vide circulation in India. The notice shall inform all potential tourists, who have plans to visit Nainital, that they must make prior arrangement for parking of their vehicles, in case, they are coming in a private vehicle. Apart from the newspaper, this shall also be informed in the website of Nainital town, and such information shall also be given by the Administration to each of the Tourist Department Centres of all the States in the country."*

उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रेस विज्ञप्ति पूर्व में निर्गत की जा चुकी है परन्तु आज दिनाँक 11 जून, 2018 को जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान मा॰ उच्च न्यायालय द्वारा

प्रकरण को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है तथा विज्ञप्ति को पुनः 07 समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रजी) में प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः पुनः अनुरोध है कि मा० उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्तानुसार 07 समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा तथा Hindustan Times, The Times of India, The Hindu) के सम्पूर्ण उत्तराखण्ड, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश संस्करणों में एवम् विभागीय वेबसाईट में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

11.06.18

(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति शासकीय वेबसाईट्स में अपलोड़ करने का कष्ट करें।

11.06.18

जिलाधिकारी,
नैनीताल।